



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 3½ वर्ष के कारावास व ₹1,200 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली सदर में पंजीकृत मु0अ0सं0-44/1997, धारा- 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र चुनुवाद निवासी गौरा देवी कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद को जेल में बिताई गई अवधि लगभग 3½ वर्ष का कारावास व ₹1200 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री पवन
बाजपेई



विवेचक
उ0नि0 श्री ओ0
पी0 भारती



पैरोकार कोतवाली सदर
का0 श्री सोमनाथ